प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.07.2026

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटे गये 01 लाख 67 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 05.07.2026 को थाना मसूरी पर वादी रिजवान द्वारा तहरीर दी गयी कि मैंने अपने रिश्ते के भांजे/ पूर्व वर्कर से अपनी फैक्ट्री खिचरा से अपने पार्टनर दानिश से 02 लाख 25 हजार रुपये मंगाये थे जिससे स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल सवार 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा 02 लाख 25 हजार रुपये छीन कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धारा- 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट, सर्विलांस के आधार पर उपरोक्त लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. नवेद पुत्र शमशुद्दीन निवासी सद्दीकपुरा थाना पिलखुवा जिला हापुड़ उम्र करीब 19 वर्ष 2. शादाब अल्वी पुत्र सदाकत अली निवासी मोहल्ला सद्दीकपुरा बिलाल मस्जिद के पास थाना पिलखुवा जिला हापुड उम्र करीब 24 वर्ष 3. फुरकान पुत्र युनूस निवासी मौहल्ला सद्दीकपुरा बिलाल मस्जिद के पास थाना पिलखुवा जिला हापुड उम्र करीब 23 वर्ष को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त शोएब पुत्र असलम निवासी खेडा फाटक के पास किराये का मकान बाबू थाना पिलखुवा जिला हापुड अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पकडे गये अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये रुपयों में से 01 लाख 67 हजार रुपये व लूट की घटना में प्रयुक्त स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2)/61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त नवेद ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 04/07/2026 को मेरे रिश्ते के मामा मौ0 रिजवान का मेरे पर फोन आय़ा था कि UPSIDC स्थित फैक्ट्री से मेरे पार्टनर दानिश से 02 लाख 25 हजार रुपये मसूरी ले आना। इतने पैसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने अपने दोस्त सादाब, फुरकान व शोएब को बुलाया और हमने आपस में बैठकर लूट की योजना बनायी। योजना के तहत मैं अपनी मोटरसाइकिल से फैक्ट्री गया और 02 लाख 25 हजार रुपये लेकर आ रहा था और मेरे पीछे - पीछे मेरे साथी सादाब, फुरकान व शोएब अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक दूसरे को कवर करते हुए चल रहे थे। हम चारों मसूरी अंडरपास से होते हुए बांके बिहारी डेन्टल कालेज के पास पहुंचे, योजना के तहत पैसे छीनने की घटना कारित की गयी। मैंने सारे पैसे अपने तीनों दोस्तो को लेकर भेज

दिया था कि किसी को शक न हो बाद में पैसो का बंटवारा कर लेगें। मैंने अपनी हुलिया गमगीन बनाते हुए कस्बा मसूरी चौकी पर लूट की सूचना दी थी। आज हम रात्रि में चारों दोस्त मिलकर पैसों का बंटवारा कर रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया। मौके से हमारा 01 साथी शोएब अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.नवेद पुत्र शमशुद्दीन निवासी सद्दीकपुरा थाना पिलखुवा जिला हापुड, उम्र करीब 19 वर्ष
2.शादाब अल्वी पुत्र सदाकत अली निवासी मोहल्ला सद्दीकपुरा बिलाल मस्जिद के पास थाना पिलखुवा जिला हापुड, उम्र करीब 24 वर्ष
3.फुरकान पुत्र युनूस निवासी मौहल्ला सद्दीकपुरा बिलाल मस्जिद के पास थाना पिलखुवा जिला हापुड, उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से लूटे गये 01 लाख 67 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन
थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बालअपचारी हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 01 कार हुंडई वरना बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05.07.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादी जाबिर निवासी ग्राम पसौन्डा टीला मोडा गाजियाबाद की लिखित तहरीर दी और बताया कि मैने अपनी कार हुण्डई वरना धुलाई के लिए सर्विस सेण्टर को दी वही किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 06.07.26 को थाना टीलामोड पुलिस टीम के द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त 1.अंश यादव पुत्र हरीश कुमार यादव निवासी आर के पुरम सेक्टर 03 क्वार्टर न 959 नई दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष 2.प्रिंस पुत्र दीपक कुमार निवासी आर के पुरम सेक्टर 05 म0न0 913 नई दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष को चोरी की 01 कार हुंडई वरना के साथ हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल रोड से गिरफ्तार किया गया व बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर धारा **317(2)/317(5)** बीएनएस की बढोत्तरी कर टीलामोड़ गाजियाबाद बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण व बाल अपचारी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि कार धुलाई सेन्टर कर कार्य करते थे। कार धुलाई का कार्य करते हुए अभियुक्तगण व बाल अपचारी के द्वारा कार को टेस्ट ड्राइव लेने के बहाने से धुलाई सेन्टर अली प्रेम गार्डन से चुरा कर ले गये थे। सर हम यह कार बेचने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अंश यादव पुत्र हरीश कुमार यादव निवासी आर के पुरम सेक्टर 03 क्वार्टर न 959 नई दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।
2. प्रिंस पुत्र दीपक कुमार निवासी आर के पुरम सेक्टर 05 म0न0 913 नई दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।
3. 01 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण

- कब्जे से चोरी की 01 कार हुंडई वरना बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण अंश यादव, प्रिंस पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त दरांती व मृतक का मोबाइल बरामद।

आज दिनांक 06.07.2026 को थाना निवाडी पर वादी श्री निर्दोष कुमार पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम पूठरी थाना निवाडी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि मेरे पुत्र तरूण उर्फ नमित उम्र 21 वर्ष की अज्ञात अभियुक्त द्वारा हत्या कर शव को ईख के खेत में छुपा देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1)/238 बीएनएस में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्त निरांचल उर्फ मंत्री पुत्र जगदीश निवासी ग्राम पूठरी थाना निवाडी गाजियाबाद को मुखबिर कि सूचना पर थाना निवाडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त दरांती व मृतक का मोबाइल बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त निरांचल उर्फ मंत्री ने बताया कि मैं पूजा-पाठ पर ज्यादा ध्यान देता हूँ जिस कारण से तरुण (मृतक) व उसके साथी मुझे बाबा-बाबा कहकर परेशान करते थे। गाँव के ही प्रिंस ने 2-3 दिन पहले मुझे परेशान किया था जिसके साथ तरूण व उसके 02 साथी और थे। जब मैं गाँव से निवाडी की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में जंगल में तरूण जाते हुये मिल गया वह अकेला था उससे जब मैंने बातचीत करनी चाही तो फिर से वह मुझे परेशान करने लगा तो मैंने गुस्से में आकर दरांती से उसकी गर्दन पर वार कर दिया जिससे वह वहीं सडक के किनारे गिर गया फिर उसे मैं घसीटकर ईख के खेत में ले गया जहाँ उसको दरांती मारकर हत्या कर दी व शव को वहीं एक प्लास्टिक कि बोरी से छुपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

निरांचल उर्फ मंत्री पुत्र जगदीश निवासी ग्राम पूठरी थाना निवाडी गाजियाबाद ,उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग व मारपीट की घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।